बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संoसंo–17/विविध 01–223/2025 – 1300(17) पटना, दिनांक– 03.10.26

विभागीय सकल्प संख्या–450(1), दिनाक–15 04.2017 सह–पठित–शुद्धि पत्र सख्या–479(1), दिनाक–26.04.2017 एव अधिसूचना सख्या–1092(17), दिनाक–04 10 2025 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयो से पीoजीo/डिप्लोमा उत्तीर्ण वैसे छात्र, जो किन्ही कारणो से बॉण्ड अवधि पूरी नही कर सके है, उन्हे शेष बॉण्ड अवधि पूरी करने हेतु उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–05 मे अंकित चिकित्सा संस्थान में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है –

Sl. No.	Name	D.O.B.	Subject	Posting Place
1	2	3	4	5
1	ASHISH KUMAR	27-10-1993	MD (GENERAL MEDICINE)	SH. BUXAR
2	RICHA KUMARI	10-08-1988	OBSTETRIS & GYNAECOLOGY	SH. ARA. BHOJPUR
3	MAZIA NOOR	27-11-1990	OBSTETRIS & GYNAECOLOGY	SH. AURANGABAD

2. उक्त पदस्थापित पीoजीo/डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र, जिन्हे विशेषज्ञता हासिल है, को यथासंभव उनकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सामान्य चिकित्सीय कार्यो के साथ–साथ विशेषज्ञ चिकित्सक का भी कार्य लिया जायेगा।
3. उक्त सभी चिकित्सको को अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ–05 मे अकित चिकित्सा सस्थान मे आदेश निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अदर योगदान समर्पित करना आवश्यक होगा।
4. इनका यह नियोजन किसी भी रूप में नियमित नियोजन नहीं माना जायेगा।
5 उक्त चिकित्सको को आकस्मिक अवकाश एवं प्रतिबंधित अवकाश (महिला चिकित्सकों को मातृत्व अवकाश भी) को छोडकर अन्य कोई भी अवकाश देय नही होगा।
6. स्वास्थ्य विभागीय पत्राक–881(1), दिनाक–27.09.2022 द्वारा राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों से पीoजीo उत्तीर्ण छात्रो से बध–पत्र के अधीन कार्य लेने हेतु सृजित फ्लोटिग पदो के विरूद्ध उक्त चिकित्सा संस्थानो मे पदस्थापन किया गया है।
7. उक्त पदस्थापित चिकित्सको को मानदेय का भुगतान विभागीय पत्र सख्या–881(1), दिनाक–27.09.2022 द्वारा निर्धारित मानदेय के अनुसार 85,000/–(पचासी हजार रूपये) प्रतिमाह देय होगा, जिसका भुगतान सबधित चिकित्सा सस्थान के कार्यालय बजट शीर्ष 28–02 संविदा सेवाएँ मद से किया जायेगा।
8. बधेज पत्र के अनुसार बॉण्ड अवधि की समाप्ति के उपरात चिकित्सा संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गये अवधि की गणना के प्रमाणीकरण के पश्चात् संबधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा चिकित्सक का मूल प्रमाण–पत्र उन्हे लौटा दिया जायेगा।
9 उक्त पदस्थापित चिकित्सकों में से वैसे चिकित्सक, जो भविष्य में किन्हीं कारणों से अनुपस्थित हो जाते हैं अथवा उच्चतर अध्ययन/सीनियर रेजिडेंसी बीच मे ही छोड देंगे, वे शेष बॉण्ड अवधि उक्त पदस्थापित चिकित्सा संस्थान मे ही पुनः योगदान कर पूरी करेगे।
10. प्रस्ताव मे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी–
सह–संयुक्त सचिव।

(17)

ज्ञापांक –17/विविध–01–223/2025 –1300(17) पटना/दिनांक– 03.10.26

प्रतिलिपि – अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी सबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी सबधित चिकित्सा सस्थान के निदेशक /अधीक्षक/उपाधीक्षक को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सबधित सभी चिकित्सकों को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ अपर सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01, 02, 03, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/10/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी–
सह–संयुक्त सचिव।